अन्य पिछड़ी जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

1	योजना का नाम	अन्य पिछड़ी जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–6 से 8 के अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को 40रुपये प्रति माह तथा कक्षा–9 से 10 के छात्र–छात्राओं को 50रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति वितरण करना। एक शैक्षणिक सत्र में यह छात्रवृत्ति 10 माह के लिए देय है।
3	प्रारंभ होने का वर्ष	यह योजना वर्ष 2004–05 से लागू हुई
4	लाभान्वित वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत छात्र–छात्राऐं
5	पात्रता	1. राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य पिछड़ी जाति की सूची में जाति का शामिल होना अनिवार्य है। 2. छात्र/छात्राओं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त विद्यालयों से कक्षा 6 से 10 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत रहे हो। 3. छात्र/छात्राओं के माता–पिता जीवित हो या उनके न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 44500/– रूपये की सीमा तक हो तथा उन्हें तहसीलदार द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। 5. छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति देने हेतु पूर्व उत्तीर्ण कक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 6. छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
6	देय सुविधा	• कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को 40रुपये प्रतिमाह की दर से। • कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को 50रुपये प्रतिमाह की दर से। • यह सुविद्या एक शैक्षणिक सत्र में 10 माह के लिए देय है।
7	आवेदन का तरीका	निर्धारित प्रपत्र पूर्ण भरकर संस्था में आवेदन करना।
8	आवेदन कहां किया जावे	छात्र–छात्रा के अध्ययनरत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को
9	आवेदन के साथ औपचारिकताए	• आय प्रमाण–पत्र • जाति प्रमाण–पत्र • शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण–पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान
11	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम)